23/01/25 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट की ओर से
अधिवक्ता श्री रामूराम आशिया द्वारा ~~कार्यक्रम~~
पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया।
रेस्पोंडेंट अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट
उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय
की आदेशिका की प्रमाणित प्रति एवं अपील
मीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट
द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,
सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022
अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं
करने की टिप्पणी दिनांक 17/01/22 के विरुद्ध
हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
के अंतर्गत पेश की है। अपीलाधीन आदेश।
आदेशिका की प्रमाणित प्रति अभिलेख पर
उपलब्ध जो सुसंगत दस्तावेज है। अत: अधीनस्थ
न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना आवश्यक
नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध हस्तगत प्रकरण में
निगरानी मेंम पारित माननीय राजस्व मंडल
का आदेश दिनांक 10/12/24 द्वारा प्रदत्त निर्देश
की प्रकरण को 30 दिवस में निस्तारण करना
सुनिश्चित करें। की पालना में प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(नियम-26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... मुकदमा नम्बर .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/01/22 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अंतरिम स्थगन पर प्रार्थी अपीलांट की बहस सुनकर यह अंकित किया है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है इसलिए इस स्टेज पर प्रार्थी के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत कर दी गई। अतः यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश वस्तुतः न तो अंतिम आदेश है; न ही अंतरिम आदेश है, धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध ही कानूनन अपील पोषणीय एवं ग्राह्य होती है। अपीलांट के पास यह विकल्प है कि वह सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में समुचित पैरवी करते हुये वांछित अनुतोष के लिए प्रयास करें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित किये जाने पर वह कानूनन अपील करने का विकल्प रखता है। अतः हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किसी [signature] अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ....मुकदमा नम्बर ....सन्..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध पेश नहीं करने से धारा 225 आरटीएक्ट के अंतर्गत कानूनन ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18/02/22 को पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त करते हुये अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय एवं संबंधित तहसीलदार को प्रेषित की जावें। निर्णय आज दिनांक 23/01/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर बाद तकमील संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालौर	